(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सतना

रिव्यू 2045-II-15

श्री .... द्वारा आज दि. 3.7.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरजा प्रताप सिंह परिहार

2– यतेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह परिहार, निवासीगण– कचनार तहसील नागौद जिला–सतना (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, सतना

2– अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला–सतना

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2488-I/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध इस आशय का एक सूचना–पत्र दिनांक 24.11.2011 को जारी किया गया कि ग्राम रेरूआकलां तहसील नागौद की भूमियों पर हुए अवैध उत्खनन की जांच खनिज अधिकारी एवं तहसीलदार नागौद द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई तथा जांच प्रतिवेदन अनुसार कृषि भूमियां आराजी नं. 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128 एवं 123/2 के रकवा क्रमशः 0.052 हेक्टेयर, 0.100 हेक्टेयर, 0.345 हेक्टेयर, 0.120 हेक्टेयर, 0.052 हेक्टेयर, 0.180 हेक्टेयर, 0.052 हेक्टेयर एवं 0.105 हेक्टेयर कुलकिता 8 कुल रकवा 1.006 हेक्टेयर पर आपके द्वारा बिना स्वीकृति के अवैध रूप से चूना, पत्थर का उत्खनन किया गया है। अतः म–राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2045–दो/15 **जिला** –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17.8.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2488–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.05.15 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2045–दो/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2488–एक/15 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.05.15 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 2045–दो/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य